विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम — पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

प्रश्न संख्या तारांकित — 5122

उत्तर की तिथि — 14.03.2022

विषय — रोपवे निर्माण

प्रश्नकर्ता का नाम — श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी)

सम्बन्धित मंत्री — मुख्यमंत्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:— यह सत्य है कि आनंदपुर से श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ तक रोपवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है; यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु सरकार क्या पग उठा रही है; निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है तथा निर्माण कार्य को कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 5122 जो कि माननीय विधायक, श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी) द्वारा ''रोपवे निर्माण'' बारे पूछा गया है, की सूचनाः–

जी हाँ, श्री आनंदपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ तक रोपवे लगाए जाने बारे कार्रवाई की जा रही है। इस ओर जो कदम उठाए गए हैं वह इस प्रकार से हैः–

- इस कार्य हेतु पंजाब सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य एक एम0ओ0यू0 दिनांक 28.09.2018 को हस्ताक्षरित किया गया।
- इस परियोजना हेतु मै0 IPRRCL को तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया गया तथा इस कंपनी को बिड डॉक्यूमेंट तैयार किए जाने का कार्य दिया गया।
- इस कार्य हेतु दिनांक 04.03.2020 को बिड्स मंगवाने बारे समाचार पत्रों में NIT जारी किया गया था। इस NIT की अवधि को समय–समय पर बढ़ाया गया तथा दिनांक 02.04.2020, 30.04.2020,17.06.2020,10.09.2020, 16.10.2020,13.11.2020 को शुद्धिपत्र (corrigendum) जारी किए गए। परन्तु कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई।
- इसके पश्चात् मार्च 2021 में NIT जारी किया गया, जिसमें बिड्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 30.04.2021 निर्धारित की गई जो कि दिनांक 19.10.2021 तक बढ़ाई गई। परन्तु कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई।
- दिनांक 03.04.2019 एक Joint Venture Special Purpose Vehicle (SPV) company गठित की गई। इस कंपनी में Chairman (पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार) के तथा Managing Director हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सचिव नामित किए गए। इस कंपनी में चार Board of Directors पंजाब सरकार के व चार ही हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित किए गए।

- दिनांक 04.01.2022 को हुई 7वीं निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने तकनीकी सलाहकार, मै0 IPRRCL के स्थान पर किसी नये तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- इस उद्देश्य से नये तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड (HPIDB) के माध्यम से करवाने हेतु मामला उठाया गया है।